पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पंचायत निगरानी संख्या : 81/2024 उनवान : बाबुलाल बनाम पुष्पा कुमारी व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 81/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/95

प्रार्थीगण :–		अप्रार्थीगण :–
बाबुलाल पुत्र लालाजी, जाति रावल ब्राह्मण, निवासी रमणीया, तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	1. पुष्पा कुमारी पत्नी बंशीलाल, जाति रावल ब्राह्मण, निवासी रमणीया तह. बाली जिला पाली राज. 2. ग्राम पंचायत गुड़ालास जरिये सरंपच, तहसील बाली जिला पाली राज.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, विरुद्ध आदेश दिनांक 20.08.2009, जिसे पत्रावली संख्या 145/1997–98 में पारित कर उसकी पालना में पट्टा संख्या 21 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांक: 26.07.2024

प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र लालाजी जाति रावल ब्राहमण निवासी रमणीया तहसील बाली ने एक निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 20 अगस्त 2009 जो पत्रावली संख्या 145 /1997-98 में पारित कर उसकी पालना में पट्टा संख्या 21 जो अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती पुष्पा कुमारी पत्नी बंसीलाल को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत निगरानी अनुसार ग्राम रमणीया में प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों की कृषि भूमि खसरा नंबर 200 व अन्य स्थित है जिसमें प्रार्थी आधे हिस्से का खातेदार है। उक्त कृषि भूमि कभी भी ग्राम पंचायत की मालिकाना अथवा आबादी की नहीं रही है हमेशा से ही कृषि भूमि रही है और आज भी कृषि भूमि के रूप में ही प्रार्थी की सह खातेदारी में स्थित है।उपरोक्त विवादित पट्टा संख्या 21 विधिक रूप से अवैध और शून्य है क्योंकि ग्राम पंचायत को प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अथवा अन्य किसी की भी खातेदारी कृषि भूमि मे पट्टा जारी करने का कोई विधिक रूप से अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल मात्र अपने स्वयं की मालिकाना आबादी भूमि को ही विक्रय कर सकती है और उसका ही पट्टा जारी कर सकती है। पंचायत द्वारा तैयार की गई उपरोक्त मिसल में अप्राथी संख्या 1 के नाम का एक प्रार्थना पत्र बिना हस्ताक्षर बिना दिनांक के सम्मिलित है इस आवेदन पर ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पूरी कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है जो अवैध व शून्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत की मिसल में कहीं पर भी यह अंकित नहीं है कि भूखंड खाली है अथवा निर्माण है। मिसल ग्राम पंचायत में दो बयान संलग्न है दोनों बयान किस व्यक्ति के हैं नाम पते अंकित नहीं है,दोनों ही बयानों पर पुष्पा कुमारी अप्रार्थी संख्या एक का नाम अंकित है। अतः जारी किया गया पट्टा संख्या 21 अवैध व शून्य होने से खारिज काबिल है। निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जावे एवं जैर निगरानी आदेश दिनांक 20 अगस्त 2009 प्रस्ताव संख्या दो एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 21 निरस्त फरमाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी की प्रार्थना पर तहसीलदार बाली से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि में पट्टा दिए जाने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर जारी किए गए पट्टे की मिसल भी अपूर्ण एवं नियमों की पालना नहीं करते हुए तैयार की गई है एवं गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है अतः पट्टा निरस्त किया जावे निगरानी स्वीकार की जावे।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पंचायत निगरानी संख्या : 81 / 2024 उनवान : बाबुलाल बनाम पुष्पा कुमारी व अन्य

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नियम अनुसार पूरी कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया है अतः निगरानी अस्वीकार की जावे।

हमने प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र,अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड,तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस पर गहनता से मनन किया। यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मिसल में नियमों की अनदेखी करते हुए कार्यवाही की गई है अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। गवाहों के बयानों पर हस्ताक्षर नहीं है एवं बयान किसके हैं यह भी अंकित नहीं है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पट्टा संख्या 21 में वर्णित भूमि ग्राम रमणीया के खसरा नंबर 200 में अवस्थित है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका फर्द अनुसार उक्त पट्टे की भूमि खसरा नंबर 200 में स्थित है जो संलग्न जमाबंदी अनुसार खातेदार गीता जैसा राम जीवाराम इत्यादि के खाते में दर्ज है।

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 145 वर्ष 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त 2009 वह इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 21 को निरस्त किया जाता है। पालना हेतु संबंधित को लिखा जावे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत को मूल रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

26/7/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)